

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-266 / 2019

अभिषेक कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री एस०एस० चौधरी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : एस०सी०-I (एल एंड सी) के ए०सी०

03/12.07.2019 इस याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 5839/2017 की पुनःस्थापन हेतु प्रार्थना की है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित 04.02.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने सभी त्रुटियों को दूर कर दिया है, लेकिन कार्यालय ने नोट दिया है कि पूरे त्रुटियों को नहीं हटाया गया है और मामला खारिज कर दिया गया है। वह आगे कहता है कि आवश्यक पृष्ठ दायर कर दिए गए हैं और इस प्रकार दोषों को पहले ही हटा दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूँ। नतीजतन, रिट याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 5839/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

तदनुसार, यह सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया०)